ISSN: 0972 - 2351

मत्स्यगंधा

2004

उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी और जलकृषि

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कोचीन - 682018

भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण समुद्री मात्स्यिकी विकास

वी.एस. सोमवंशी
भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई, महाराष्ट्र

सारांश

भारत में मत्स्यन कार्यकलाप मूलतः भोजन, रोज़गार, निर्यात उपार्जन के लिए किया जाता है। यह उनका समाज आर्थिक स्तर बढाने का एक प्रमुख स्रोत हैं। यद्यपि जल-जीव संसाधन पुर्नरुत्पादित हैं तथापि असीमित नहीं और उनको उचित प्रबन्धन की आवश्यकता है। पोषण, आर्थिक और सामाजिक जन कल्याण में मात्स्यिकी संपदाओं का चलते उपयोग बनाए रखना है। विभिन्न बैठकों और एफ ए ओ के सम्मेलन में प्रस्तुत विचारों के अनुरूप मात्स्यिकी के महत्वपूर्ण विकास के लिए, एफ ए ओ के शासित निकाय ने उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए सार्वभौमिक आचार संहिता के सूत्रीकरण की संस्तुति की है। संहिता जो कि एकमत से 31 अक्तूबर 1995 को एफ ए ओ की बैठक में स्वीकार की गई थी उसमें उत्तरदायी पद्धति के लिए व्यवहारिक सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं। उसमें प्रभावी संरक्षण, सजीव जलचर संसाधनों के प्रबन्धन एवं विकास के साथ साथ पर्यावरण तंत्र और जैवविविधता परिदृश्य को सुनिश्चित करना है। संहिता स्वैच्छिक है, प्रकृति में सार्वभौमिक है और सभी मात्स्यिकी के संरक्षण, प्रबन्धन और विकास में लागू सिद्धांत एवं मानक उपलब्ध कराती है। यह मछली पकड, प्रसंस्करण और मछली एवं मत्स्य उत्पादों का व्यापार, मत्स्यन प्रचालन, जलकृषि, संसाधन एवं तटवर्ती क्षेत्र प्रबन्धन का भी प्रतिपाद्य करती है।

पत्रव्यवहार : डॉ. वी.एस. सोमवंशी, महानिदेशक,
भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, भारत सरकार, कृषि, मंत्रालय, बोटावाला चेम्बेर्स, सर पी एम रोड, फोर्ट मुम्बई - 400 001, महाराष्ट्र

परिचय

मात्स्यिकी के अंतर्गत मछली पकड और मछली कृषि आती हैं। मात्स्यिकी भोजन का एक बृहद् स्रोत होने के अलावा रोज़गार, मनोरंजन, व्यापार और दुनिया भर में लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए आय का स्रोत है। हमारे समुद्र भले ही वर्तमान एवं भविष्य की पीढी के लिए ये संपदाएं उपलब्ध कराती है। इसकेलिए मात्स्यिकी क्रियाकलाप, उत्तरदायी तरीके से किए जाने चाहिए। एफ ए ओ (1995) द्वारा निर्धारित उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता (सी सी आर एफ) उत्तरदायी व्यवहार के लिए साथ ही उसमें प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने, सजीव जलचर संसाधनों के प्रबन्धन और विकास के साथ पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करती है। संहिता, मात्स्यिकी के पोषक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक महत्व को और उन सभी के हित में' जो मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित है, उनको पहचानती है। संहिता में संसाधन के जैविक लक्षण उनके पर्यावरण और उपभोक्ता और अन्य प्रयोक्ता के हितों का ध्यान रखा गया है। संपूर्ण विश्व में, तटवर्ती देशों और उन सभी को जो मात्स्यिकी में संलिप्त है, उनको संहिता लागू करने एवं उसे प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

यह संहिता स्वैच्छिक और सार्वभौमिक प्रकृति की है। एफ ए ओ के सदस्य, गैर सदस्य देशों एवं अन्य सदस्यों के अतिरिक्त मत्स्यन इकाईयों, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संगठनों, सरकारी या गैर सरकारी और मात्स्यिकी संसाधन संरक्षण, मात्स्यिकी प्रबन्धन एवं विकास से संबंधित सभी व्यक्तियों जैसे कि मछुआरे, मछली और मत्स्य उत्पाद के विपणन में लगे

हुए प्रसंस्करण और मात्स्यिकी संबंधी जलीय पर्यावरण के अन्य उपभोक्ताओं के अनुपालन केलिए यह बनाया गया है।

संहिता, सम्पूर्ण मात्स्यिकी के संरक्षण, प्रबन्धन और विकास में लागू सिद्धांत एवं मानक उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत मत्स्यन के सभी पहलुओं यानी कि मछली और मत्स्य उत्पादों का प्रसंस्करण एवं व्यापार, मत्स्यन प्रचालन, जलकृषि, मात्स्यिकी अनुसंधान और तटवर्ती क्षेत्र प्रबन्धन पर प्रतिपादन होता है।

समुद्री मात्स्यिकी विकास के संदर्भ में उत्तरदायी मात्स्यिकी हेतु आचरण संहिता (सी सी आर एफ) के अंतर्गत प्रावधान

उप समूह के संदर्भ की शर्तों के साथ सीधी अनुरूपता रखने वाले उत्तरदायी मात्स्यिकी हेतु आचरण संहिता के अंतर्गत प्रावधान निम्नवत् हैं।

मत्स्यन क्षमता

अनुच्छेद-6 (सामान्य सिद्धांत)

पैरा 6.3 राज्यों को अत्यधिक मत्स्यन एवं अतिरिक्त मत्स्यन क्षमता पर रोक लगानी चाहिए और प्रबन्धन उपायों का कार्यान्वयन करना चाहिए। अतिरिक्त मत्स्यन क्षमता वर्जित की जानी है और मछली भण्डार का शोषण आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

अनुच्छेद - 7

पैरा 7.6.3 जहां पर अतिरिक्त मत्स्यन क्षमता होती है, मात्स्यिकी संसाधनों का सतत उपयोग करके अनुरूप स्तर तक क्षमता कम की जाए

मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुच्छेद - 6

पैरा 6.16 सभी राज्य मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण और प्रबन्ध को समझने हेतु मछुआरों और मत्स्य कृषकों के सर्वोच्च महत्व की पहचान करें।

अनुच्छेद - 8

पैरा 8.1.7 राज्यों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम द्वारा मछुआरों के शिक्षण और कौशल, और जहाँ पर उचित हो, वहाँ पर उनकी उचित व्यवसायिक योग्यता को बढाना चाहिए।

पैरा 8.1.10 उत्तरदायी मात्स्यिकी प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु मात्स्यिकी प्रचालन में कार्यरत लोगों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा इस संहिता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों पर संगत अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी और लागू पर्यावरणीय और अन्य अनिवार्य मानक के प्रावधान पर सूचना प्रदान करना है।

मात्स्यिकी प्रबन्धन

अनुच्छेद 7

पैरा 7.2.2

क. अतिरिक्त मत्स्यन क्षमता का दुरुपयोग न करें तथा मछली भण्डारों का शोषण अनुरूप आर्थिक दृष्टि से करें।

ख. आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए जो मत्स्यन उद्योग प्रचालित हो रहा है, उत्तरदायी मत्स्यन को बढावा दें।

ग. निर्वाह के लिए मात्स्यिकी को स्वीकारे मछुआरों चाहे लघु पैमाने का हो या कारीगरी के हितों को ध्यान में रखा जाए।

घ. जलीय वासस्थलों एवं वहाँ के जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाएं एवं दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षित किया जाएं।

ङ. घटनेवाले संसाधनों के उद्धार करने या जहाँ उचित हो सक्रिय पुनरुद्भव के लिए कारवाई की जाए

च. मानवीय क्रियाओं से संसाधनों पर होने वाले विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों का निर्धारण एवं जहाँ उचित है वहां सुधार किया जाएं और,

छ. प्रदूषण, मलिनवस्तु, बेकार के चीज़, नुक्सान पहूँचनेवाली या त्यागे हुए गियर द्वारा पकड, अलक्षित प्रजातियों की पकड आदि को रोकना चाहिए। दोनों, मत्स्य एवं अमत्सय प्रजातियों और संबद्ध या निर्भर प्रजातियों पर होनेवाले मत्स्यन प्रभावों को उपायों द्वारा कम करना चाहिए। व्यवहारयोग्य, चुनिंदा पर्यावरणीय सुरक्षा एवं दर प्रभावी मत्स्यन गियर और तकनीकी का उपयोग करना चाहिए

अनुच्छेद 8

पैरा 8.10.1 राज्यों को अनावश्यक अपतट ढाँचों को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन द्वारा जारी मानक और दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संगत प्राधिकारी द्वारा ढाँचों और अन्य सामग्रियों का परित्याग पर लिए जाने वाले निर्णयों से पूर्व सक्षम मात्स्यिकी प्राधिकारी से परामर्श करें।

पैरा 8.11.1 राज्यों को जहाँ उचित हो, मछली प्रभवों को बढाने के लिए नीतियां विकसित करनी चाहिए। नौचालन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सतह या समुद्र तल पर या उसके ऊपर कृत्रिम ढाँचों के उपयोग द्वारा संपदाओं की बढती की संभावना को बढाए। इन ढाँचों के उपयोग, साथ ही सजीव समुद्री संसाधनों और पर्यावरण पर प्रभाव के अनुसंधान को बढावा देना चाहिए।

भारत में समुद्री मात्स्यिकी विकास सुधारने के लिए प्रस्तावित उपाय

कारीगरी, मोटरीकृत और यंत्रीकृत नावों के विविध सेक्टरों में अनुकूलतम बेडा आकार निम्नानुसार होना चाहिए।

अ. मत्स्यन क्षमता और मछली उत्पादन जो क्षेत्रीय जल के अंदर अनुकूलतम स्तर तक पहुँचने की दृष्टि से, यह सिफारिश किया है कि वर्तमान स्तर अर्थात् 50,000 मी तक नावों की संख्या सीमित रखें। भविष्य में निर्माण हेतु प्रतिस्थापना के आधार पर गहन समुद्री तलमज्जी ट्रॉलिंग, मध्य जल ट्रॉलिंग और लाँग लाइनिंग व गिल नेट्टिंग हेतु मध्यस्थ मत्स्यन पोत में परिचालन के लिए निम्न प्रक्रिया बनाने का प्रस्ताव रखा है।

i) मत्स्यन नाव के निर्माण हेतु नाव निर्माण प्रांगणों को इस उद्देश्य के लिए पहचानीकृत प्राधिकरण के साथ रजिस्टर करना चाहिए।

ii) पुराने न उपयोज्य नावों की प्रतिस्थापना के उद्देश्य से नावों के निर्माण हेतु आवेदन राज्य मात्स्यिकी विभाग में प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

iii) राज्य मात्स्यिकी विभाग केवल क्षेत्रीय जल के अंदर संसाधनों के उपज हेतु मछुआरों के लिए लाइसेंस जारी की जानी चाहिए।

iv) यदि मत्स्यन नाव का मालिक गहन समुद्र में क्षेत्रीय जल से दूर मत्स्यन संचालित करना चाहता है तो, वह इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार प्राधिकरण या उसके नामित से लाइसेंस प्राप्त करें।

आ. मत्स्यन पर कार्रवाई के अंतर्राष्ट्रीय योजना के अनुसार, यह सुझाव है कि :

i) समुद्री स्तनपायी जीव, कछुआ, समुद्री पक्षी को पकडने के लिए लाँग लाइनिंग मात्स्यिकी निषिद्ध है और कछुआ निवास स्थान में ट्रॉलिंग प्रचालन, कछुआ बहिष्कार उपकरण (टी ई डी) के साथ करना चाहिए।

ii) अवैध, अनियमित, अप्रतिवेदित मत्स्यन (आई यू यू मत्स्यन) रोकने हेतु मत्स्यन कार्यकलाप एवं तट रक्षक और मात्स्यिकी प्राधिकारियों को उनके पकड तथा प्रयत्न रिपोर्ट करने हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली, सख्त शर्त के साथ बनानी चाहिए।

iii) समुद्री मात्स्यिकी नियमन अधिनियम को क्षेत्रीय जल से दूर प्रचालित आर्थिक अनन्य क्षेत्र में भारत के मत्स्यन पोतों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय विधान के साथ सुमेलित किया जाना है तथा उसके अनुरुप बनाना चाहिए ताकि अंतर अनुभागीय संघर्ष एवं अनियंत्रित और अवैध मत्स्यन से बचा जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान/ केन्द्रों ने समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर के प्रचालनात्मक पहलुओं में मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता को पहचाना है जो कि-

i) मत्स्य संसाधनों के संपोषणीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण

ii) मत्स्यन नावों की प्रमाणन स्तर के अनुसार मात्स्यिकी आवश्यकताओं के लिए निगरानी करने, सुरक्षा मानक एवं उपकरणों में प्रशिक्षण।

iii) प्रदूषण रोकने में प्रशिक्षण

iv) अतिशोषित और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण उपाय पर प्रशिक्षण

v) मूल्य जोड और समुद्री खाद्य उत्पादन विकास हेतु प्रशिक्षण

दीर्घ कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के भाग के रुप में अल्प कालीन के आधार पर केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा इन प्रशिक्षणों को संचालित किया जाएगा। उप समूह ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मात्स्यिकी विधान में आई एल ओ और एस टी सी डब्ल्यू एफ को सम्मिलित करने हेतु सिफारिश की है ताकि समुद्र में कार्यरत मछुआरों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मात्स्यिकी में बढती मत्स्यन क्षमता पर विश्व में चिंता हो रही है। बढी हुई मत्स्यन क्षमता अति मत्स्यन और अति पूँजीकरण का कारण बनेगी। आचार संहिता के अनुसार तटवर्ती राष्ट्रों को अतिमत्स्यन एवं अधिक मत्स्यन क्षमता को रोकना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए राज्यों को मात्स्यिकी संसाधनों के उत्पादन क्षमता और उनके उपयोग के साथ मत्स्यन प्रयास अनुरूप हो यह सुनिश्चित करने हेतु साधन और पूरक, उपाय ढूँढना है। मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण और प्रबन्धन, पर्यावरणीय पहलुओं, उत्तरदायी मत्स्यन प्रचालन स्वास्थ्यकर रूप से मछली व्यापार और मछली के प्रसंस्करण प्रक्रिया के संबंध में जानकारी पैदा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। समाकलित प्रस्ताव हेतु प्रचालन एवं सुरक्षा पहलुओं, प्रबन्धन और संरक्षण उपायों में प्रशिक्षण हेतु नियमित प्रक्रम होना चाहिए जिसके द्वारा पणधारियों को शिक्षित किया जा सके और जिससे उनकी आजीविका कायम रखा जा सके और मत्स्य और मत्स्य स्टॉक सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य शब्द/Keywords.

एफ ए ओ - FAO - Food and Agricultural Organisation
आइ एल ओ - ILO - International Labour Organisation
मछली संसाधन - fish resources
मछली भंडार - fish stock
अत्यधिक मत्स्यन - over fishing
अतिरिक्त मत्स्यन - excess fishing
मछली प्रभव - fish stock population
कारीगरी मात्स्यिकी - artisanal fishes
टी ई डी - TED - Turtle Excluder Device
आइ यू यू - IUU - Unregulated and Unreported fishing
अनन्य आर्थिक क्षेत्र - EEZ - Exclusive Economic Zone
सी सी आर एफ - CCRF - Code of Conduct for Responsible Fisheries
एस टी सी डब्लियु एफ - STCWF - Standard of Certification and Watch Keeping for Fisheries.